RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक ४] गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल १३-१९, २०१७/चैत्र २३-२९, शके १९३९ [पृष्ठे ३२

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०१५.— महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०१५.— नांदेड सिख गुरुद्वारा संचालक श्री. हजूर अफचल-नगर साहिब (संशोधन) अधिनियम, २०१५. . .	४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१५.— महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन तथा विधि मान्यकरण) अधिनियम, २०१५. . .	६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१५.— महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ . .	१२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०१५.— महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ . .	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१५.— महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०१५ . .	१५
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१५.— महाराष्ट्र वन (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१३ . .	२८

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2015.

THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ अप्रेल, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA (URBAN AREAS) PROTECTION AND PRESERVATION OF TREES ACT, 1975.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ९ अप्रैल २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९७५ का महा. ४४।

संक्षिप्त नाम। **१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा २ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र (नगरीय क्षेत्रों) वृक्षों का संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के खंड (च) में, " बंबई नगर निगम अधिनियम " शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और " नगरपालिका अधिनियम, १९६५ " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. ४४।

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा २ के खंड (२४) के अर्थान्तर्गत " मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या नगरपालिका क्षेत्र "। सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

३. मूल अधिनियम, की धारा ३ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएँगी, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. ४४ की धारा ३ में संशोधन।

" (५) उप-धारा (१) और (२) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ, नगर निगम या, यथास्थिति, नगर परिषद के क्षेत्र के संबंध में, वृक्ष प्राधिकरण गठित नही किया गया है या चाहे वह किसी कारण के लिए कृत्य करने में समर्थ नहीं है तो ऐसे नगर निगम के नगरपालिका आयुक्त या ऐसे नगर परिषद के मुख्य अधिकारी वृक्ष प्राधिकरण के रूप में कार्य करेंगे और वह ऐसे प्राधिकरण सम्यक्तया गठित होने तक या कार्य करने के लिए सक्षम होने तक ऐसे क्षेत्र में वृक्ष प्राधिकरण की सभी शक्तियों का प्रयोग तथा सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा :

परंतु, इस धारा के अधीन नगरपालिका आयुक्त या मुख्य अधिकारी द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, ऐसे निर्णय के पश्चात् ली गई उसकी सद्य अगली बैठक में ऐसे नगर निगम या, यथास्थिति, नगर परिषद की साधारण निकाय के समक्ष रखा जाएगा।"।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2015.

THE NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAZUR APCHALNAGAR SAHIB (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १७ अप्रैल, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAZUR APCHALNAGAR SAHIB, ACT, 1956.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १७ अप्रैल, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखण्ड श्री हजुर अपचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखण्ड श्री हजुर अपचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; सन् १९५६ का हैद्रा. अधि. क्र. ३७।

और, इसलिए, नांदेड सिख गुरुद्वारा सचखण्ड श्री हजुर अपचलनगर साहिब (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १८ फरवरी, २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ; सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम नांदेड सिख गुरूद्वारा सचखण्ड श्री हजुर अपचलनगर साहिब (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

(२) यह १८ फरवरी, २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५६ का हैद्रा. अधि. क्र. ३७ की धारा ६ में संशोधन।

२. नांदेड सिख गुरूद्वारा सचखण्ड श्री हजुर अपचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ६ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :– सन् १९५६ का हैद्रा. अधि. क्र. ३७।

" (५) उप-धारा (२), (३) या (४) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, यदि, उप-धारा (१) के अधीन कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य, सम्यक् रूप से नामनिर्देशित या, यथास्थिति, निर्वाचित किये गये है तो बोर्ड गठित कर सकेगी। इस प्रकार गठित बोर्ड, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, विधिमान्यतः गठित किया हुआ समझा जायेगा। "।

३. मूल अधिनियम की धारा ११ की, उप धारा (१) में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :- सन् १९५६ का हैद्रा. अधि. क्र. ३७ की धारा ११ में संशोधन।

" (१) बोर्ड का अध्यक्ष, सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। "।

४. मूल अधिनियम की धारा ६१ की, उप-धारा (२) का खंड (दो), अपमार्जित किया जायेगा। सन् १९५६ का हैद्रा. अधि. क्र. ३७ की धारा ६१ में संशोधन।

सन् २०१५ का महा. अध्या क्र. ३। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) नांदेड सिख गुरूद्वारा सचखण्ड श्री हजुर अपचलनगर साहिब (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों को अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2015.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (LEVY, AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १८ अप्रैल, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १८ अप्रैल, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में, प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१५ कहलाये ।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय,—

(क) धाराएँ २ से ५, धारा ६ की उप-धारा (१) और धाराएँ ७ से ११, १ अप्रैल २०१५ से प्रवृत्त होगी ;

(ख) धारा ६ की उप-धारा (२), १ मई २०१५ से प्रवृत्त होगी ।

अध्याय-दो

महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ में संशोधन।

सन् १९६२ का महा. ९ की धारा १२-ख में संशोधन।

२. महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ की धारा १२ ख के खंड (ङ) में, " वर्ष २०१३-१४ " शब्द तथा अंकों के स्थान में, " वर्ष २०१३-१४ और २०१४-१५ " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे। सन् १९६२ का महा. ९।

अध्याय-तीन

महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५ का महा. १६।

३. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ की संलग्न **अनुसूची एक** की प्रविष्टि १ के, खंड (ख) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. १६ की अनुसूची एक में संशोधन।

" (ख) (एक) पुरुषों के मामले में, ७,५०० रुपयों से अधिक किन्तु १०,००० रुपयों से अनधिक ;	. .	प्रति माह १७५।	
(दो) स्त्रियों के मामले में, १०,००० रुपयों से अनधिक	. .	कुछ नहीं ।"।	

अध्याय-चार

महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००३ का महा. ४।

४. महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ की संलग्न अनुसूची में प्रविष्टि १६ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् २००३ का महा. ४ की अनुसूची में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९।

" १७. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की संलग्न अनुसूची ग की प्रविष्टि ५५ के खंड (४) और (५) द्वारा आवृत्त माल ।	. .	५ प्रतिशत ।"।	

अध्याय-पाँच

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९।

५. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २ में संशोधन।

(१) खंड (२०) में, **स्पष्टीकरण एक** के पश्चात्, निम्न स्पष्टीकरण निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९९४ का ३२।

" **स्पष्टीकरण एक क**—क्रय-किमत, वित्त अधिनियम, १९९४ के अधीन उद्ग्रहित या उद्ग्रहणीय और विक्रेता द्वारा अलग से संग्रहित सेवा कर की रकम, में शामिल नहीं की जायेगी ।";

(२) खंड (२५) के, **स्पष्टीकरण एक** के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९९४ का ३२।

" **स्पष्टीकरण एक क.**—विक्रय-किमत, वित्त अधिनियम, १९९४ के अधीन उद्ग्रहित या उद्ग्रहणीय और खरीददार से अलग से संग्रहित सेवा कर की रकम में, शामिल नहीं की जायेगी ।"।

६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २० की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २० में संशोधन।

(१) उप-धारा (४) के, परंतुक में, " उपरोक्त खंडों " शब्दों के स्थान में, " खंड (क) या, यथास्थिति, खंड (ख) " शब्द, कोष्टक तथा अक्षर रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (६) में, " दो हजार " शब्दों के स्थान में, " एक हजार " शब्द रखे जायेंगे ।

७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २३ की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन।

(१) उप-धारा (५) के,—

(क) खंड (क) में, " इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के क्रम के दौरान, यदि विहित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि " शब्दों के स्थान में, " जहाँ विहित प्राधिकरण का यह विश्वास करने का कारण है कि " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (घ) के, परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, किसी मामले में १ अप्रैल, २०१५ को या के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है तो संव्यवहार या, यथास्थिति, दावे में अंतर्विष्ट वर्ष के अंत से छह वर्षों के अवसान के पश्चात्, इस उप-धारा के अधीन कोई निर्धारण आदेश नहीं बनाया जायेगा ।";

(२) उप-धारा (११) में, " (३) या (४) " कोष्टक, अंक और शब्द दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " (३), (४) या, यथास्थिति, (५) " कोष्टक, अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(३) उप-धारा (१२) में, " (३) या (४) " कोष्टक, अंक और शब्दों के स्थान में, " (३), (४) या, यथास्थिति, (५) " कोष्टक, अंक और शब्द रखे जायेंगे ।

सन २००५ का महा. ९ की धारा २८ का प्रतिस्थापन।

८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २८ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

कर दायित्व का उपांतरण।

" **२८.** जहाँ कोई न्यायालय या अधिकरण या कोई अपील प्राधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण अपील या पुनरीक्षण में, इस प्रभाव का आदेश पारित करता है कि,—

(एक) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन निर्धारित कोई कर, जिस अधिनियम के अधीन निर्धारित किया गया था से अन्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जा सकेगा, या

(दो) मान्य या अमान्य किये गये किसी दावे का इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन दायित्व कर के उपांतरण होने का कोई दावा करता हो,

तब, ऐसे आदेश के परिणाम स्वरुप, ऐसा आवर्तन, या उसका भाग निर्धारित किया जा सकेगा या, यथास्थिति, कर दायित्व, इस अधिनियम के अधीन ऐसे दावे की मान्यता या अमान्यता के अनुसरण में और ऐसे आदेश के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर, किसी भी समय, कर के अध्यधीन अवधारित किया जा सकेगा :

परंतु, जहाँ कोई निर्धारण, पहले से ही किया गया है तब, ऐसे निर्धारण अवधि की प्रयुक्ति की परिसीमा से संबंधित कोई उपबंध किसी बात के होते हुए भी लागू होते हैं तो ब्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, निर्धारण का उपांतरण किया जायेगा ।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३० में संशोधन ।

९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३० की, उप-धारा (२) में, परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

" परंतु आगे यह कि, किसी मामले में, ब्यौहारी, धारा २० की उप-धारा (४) के खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के अधीन यथा उपबंधित किसी वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करता है तब, सारणी के स्तंभ (२) में उल्लिखित दिनांक से ऐसी वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार, कर की ऐसी अधिकतम रकम की अदायगी के दिनांक तक, कर की अधिकतम रकम पर ब्याज देय होगा :—

सारणी

जिसके लिये वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी दाखिल की गई है उस वर्ष में रजिस्ट्रीकरण स्थिति	से परिकलित किया जानेवाला ब्याज
(१)	(२)
(क) व्यौहारी, जिसने संपूर्ण वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र धारण किया हो ।	. . जिससे वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, उस वर्ष का १ अक्तूबर।

सारणी—चालू

(१)		(२)
(ख)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है के किसी दिनांक से ३० सितंबर तक के दिनांक को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. . जिससे वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, उस वर्ष का १ अक्तूबर ।
(ग)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, के ३० सितंबर के पश्चात् किसी दिनांक पर रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. . जिससे वार्षिक पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, उस वर्ष का १ अक्तूबर ।
(घ)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, के ३० सितंबर के पश्चात्, किसी दिनांक से अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. . रजिस्ट्रीकरण का प्रभावी दिनांक ।
(ङ)	जिस वर्ष पुनरीक्षित विवरणी संबंधित है, के ३० सितंबर के पूर्व के किसी दिनांक पर रद्द किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।	. . रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रभावित दिनांक ।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४४ में संशोधन।

१०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४४ की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (४क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, समामेलन, विलयन या, यथास्थिति, अलगीकरण के मामले में, कारोबार के अंतरण के अन्य प्ररूप में या तो कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में,—

(एक) उच्च न्यायालय, अधिकरण या केंद्र सरकार के आदेश के दिनांक से, या

(दो) कंपनी के रजिस्ट्रार जिस दिनांक को समामेलन, विलयन या, यथास्थिति, अलगीकरण अधिसूचित करें, उस दिनांक से, प्रभावी हुआ समझा जायेगा । " ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ४७ में संशोधन ।

११. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ४७ की,—

(१) उप-धारा (१) में,—

(क) " न्यायालय " शब्द के स्थान में, " न्यायालय, अधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " आदेश के दिनांक पर समाप्त होनेवाली " शब्दों के स्थान पर, " कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में आदेश के दिनांक से या जिस दिनांक पर कंपनी के रजिस्ट्रार के समामेलन को अधिसूचित करने, के दिनांक पर समाप्त होनेवाली " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (२) में, " उक्त आदेश का दिनांक " शब्द जहाँ कहीं वे दोनों स्थानों पर आये हों, के स्थान में, " धारा ४४ की, उप-धारा (४क) के अधीन कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में ऐसा दिनांक " शब्द रखे जायेंगे ।

(३) उप-धारा (२क) की,—

(क) खण्ड (क) में,—

(एक) " न्यायालय " शब्द के स्थान में " न्यायालय, अधिकरण " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) " उस आदेश के दिनांक तक " शब्दों के स्थान में " कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में आदेश के दिनांक से या जिस दिनांक पर कंपनी के रजिस्ट्रार अलगीकरण अधिसूचित करें, के दिनांक " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) में, " उक्त आदेश की दिनांक " शब्द जहाँ कहीं वह आये हों, के स्थान में, " धारा ४४ की, उप-धारा (४क) के अधीन कंपनी द्वारा विकल्प के रुप में, ऐसा दिनांक " शब्द रखे जायेंगे ।

सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची ' ग ' में संशोधन ।

१२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम से संलग्न अनुसूची ' ग ' की,—

(एक) प्रविष्टि ४ में, निम्न **स्पष्टीकरण** जोड़ा जायेगा और १ अप्रैल २००५ से प्रभावी जोड़ा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

" स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिये, जो समय-समय से अस्तित्व में है, सिलाई धागे में कशीदाकारी धागे का समावेश होगा । " ;

(दोन) प्रविष्टि ९१ में, निम्न **स्पष्टीकरण** जोड़ा जायेगा और १ अप्रैल २००५ से जोडा गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

" स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिये, जो समय-समय से अस्तित्व में है, " मसालें " जिसमें सभी प्ररुप, प्रकार के मसाले तथा किन्हीं मसालों के मिश्रण का समावेश होगा । "।

सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची ' ग ' की प्रविष्टि ५४ के अधीन जारी अधिसूचना के लिये संशोधन ।

१३. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की अनुसूची (ग) की प्रविष्टि ५४ के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना, वित्त विभाग, क्र. मूल्यवर्धित कर १५०५/सीआर-२३४/कराधान-१, दिनांकित १ सितंबर २००५, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची की प्रविष्टि २ के, स्तंभ (५) में, " देशी लोणी " शब्दों के स्थान में " देशी **लोणी,** व्हाईट बटर " शब्द रखे जायेंगे और १ सितंबर २००५ से रखे गये समझे जायेंगे । सन् २००५ का महा. ९।

अध्याय छह

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति ।

१४. (१) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१५ (जिसे इसमें आगे इस धारा में " संशोधन अधिनियम " कहा गया है) के प्रारंभण के पूर्व, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे इस धारा में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया है) के उपबंधों के अधीन किसी ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा किए गए विक्रय या क्रय के संबंध में किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण में की गई कोई कार्यवाही या की गई कोई बात उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जाएगी मानों कि ऐसा निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण या कार्यवाही या बात संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन सम्यक्तया की गई, या की गई थी, और तद्नुसार,— सन् २००५ का महा. ९। सन् २०१५ का महा. १७।

(क) ऐसे किसी कर के निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा कृत या किये गये सभी कार्य, कार्यवाहियाँ या बातें सभी प्रयोजनों के लिये विधि के अनुसरण में कृत या की गई समझी जायेगी और सदैव कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार अदा किये गये किसी कर के प्रतिदाय के लिए किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी नहीं रखी जायेगी ; और

(ग) कोई न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी किसी ऐसे कर के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा ।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (७) में कोई भी बात, किसी व्यक्ति को,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कर के किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर के जरिए, उसके द्वारा देय राशि से अधिक अदा किये गये कर के प्रतिदाय का दावा करने से, किसी व्यक्ति को रोकते हुए नहीं समझी जायेगी ।

(३) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम की कोई बात, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व, उसके द्वारा कृत या करने से विलुप्त किसी बात के संबंध में कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने का दायी नहीं होगा, यदि ऐसा कृत्य या लोप मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन अपराध नहीं था, परन्तु संशोधन अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के लिए अपराध हुआ है ; और न ऐसे कृत्य या लोप के संबंध में, किसी व्यक्ति पर संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व, प्रवृत्त विधि के अधीन, उस पर, लगाई जा सकनेवाली शास्ति से अधिक शास्ति लगाई जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2015.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) ACT.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक अप्रैल, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १८ अप्रैल २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९४९ का महा. ४९।

संक्षिप्त नाम। **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

सन् १९४९ का महा. ४९ की धारा ३१३ में संशोधन। **२.** महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ३१३ में, परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का महा. ४९।

"परन्तु, आगे यह कि, नगर निगम की अधिकारिता के भीतर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में कारखानों, कार्यशाला या कार्यस्थल के संबंध में ऐसी किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।"।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2015.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अप्रैल, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २४ अप्रैल, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४४क में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे "उक्त संहिता" कहा गया है) की धारा ४४क की,—

(एक) उप-धारा (१) के,—

(क) खण्ड (तीन) में, " विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) शर्त (ख) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) शर्त (घ) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (२) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) उप-धारा (५) में,—

(क) " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " **सनद,** विहित प्ररूप में उसके धारक को दी जायेगी " शब्दों के पश्चात्, " ऐसी सूचना की प्राप्ति के दिनांक से वास्तविक औद्योगिक उपयोग के मामले में साठ दिनों और विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना के मामले में नब्बे दिनों के भीतर " शब्द रखे जायेंगे " ;

(चार) स्पष्टीकरण-दो.—के स्थान में, निम्न स्पष्टीकरण रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण दो.—**इस धारा के प्रयोजनों के लिये, " एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के उपबंधों के अधीन, सरकार द्वारा एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना के विकास के लिये विरचित विनियमों के अधीन एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना या प्रोजेक्टों से है । "। सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ३२८ में संशोधन।

३. उक्त संहिता की धारा ३२८ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (सोलह-क) में, " या विशेष नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्दों के स्थान में, " या एकीकृत नगर-क्षेत्र परियोजना " शब्द रखे जायेंगे ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

४. (१) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2015.

THE MAHARASHTRA STAMP (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अप्रैल, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव तथा विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २४ अप्रैल २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९५८ का ६०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

सन् १९५८ का ६० की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,— विद्यमान खंड (क) के पूर्व, निम्न खण्ड़ निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९५८ का ६० ।

"(क क) "अपर स्टाम्प नियंत्रक, मुंबई " का तात्पर्य, इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा, पदाभिहित किये गये अधिकारी या अधिकारियों से है और इसमें इस निमित्त **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार जिसे नियुक्त करें, कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित होगा ;" ।

सन् १९५८ का ६० की धारा ४ में संशोधन ।

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " विक्रय " शब्द के पश्चात्, " पट्टा " शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

(दो) " विकास करार " शब्दों के पश्चात्, जहाँ कहीं वह दूसरी बार आया हो, " पट्टा " शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी में,— " विक्रय " शब्द के पश्चात्, " पट्टा " शब्द निविष्ट किया जायेगा ;

सन् १९५८ का ६० की धारा १० में संशोधन ।

४. मूल अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

(३क) ई-भुगतान के उपयोग को विनियमित करने की प्रक्रिया, सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (जी.आर.ए.एस.) (आभासी राजकोष) के ज़रिए, जैसा कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी होगा, जिसके आदेश द्वारा अवधारण किया जा सकेगा । "।

सन १९५८ का ६० में धारा १० घ की निविष्टि।

५. मूल अधिनियम की धारा १० ग के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

स्टाम्प शुल्क की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए कतिपय विभाग, संगठन, संस्थाएँ आदि ।

" १०घ. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश देगा कि, कोई राज्य सरकारी विभाग, स्थानीय स्व-शासन संस्था, अर्ध-सरकारी संगठन, बैंकिंग या गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या भरपूर वित्त प्राप्त करनेवाला निकाय या उसका कोई वर्ग उनकी प्रणाली के ज़रिए पारित या उनके कार्य से संबंधित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए जिसका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है ऐसे लिखित के संबंध में सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (जी.आर.ए.एस.) के ज़रिए, राज्य सरकार को उचित शुल्क अदा किया है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(२) मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसी लिखतों पर चालान को मोहर लगाने तथा पृष्ठांकन बनाने के लिए उप-धारा (१) में यथा उल्लिखित उचित अधिकारी के रूप में ऐसे विभागों या निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा ।

(३) उप-धारा २ के अधीन, इस प्रकार प्राधिकृत उचित अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि, चालान पर मोहर लगाने के पश्चात्, निम्न लिखतों पर पृष्ठांकन करेगा :—

"स्टाम्प शुल्क रु. नकद/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा/पे ऑर्डर द्वारा/ई-चालान द्वारा रसीद/ देखिए चालान क्र. / जी.आर.एन. क्र. सी आय. एन. दिनांकित

कार्यालय का मोहर । अधिकारी के हस्ताक्षर।

* जो भी लागू न हों मिटा दें । "।

सन् १९५८ का ६० की धारा ३० में संशोधन ।

६. मूल अधिनियम की धारा ३० के,—

(क) खण्ड च में, " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा।

(ख) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (च-क) **अनुसूची एक** के अनुच्छेद ६३ में, यथा उपबंधित कार्य संविदा के लिखतों के मामले में, संविदा प्राप्त करनेवाला व्यक्ति ;"।

सन् १९५८ का ६० की धारा ३१ में संशोधन ।

७. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (४) के परंतुक में, " दुगना " शब्दों के स्थान में, " चौगुना " शब्द रखा जायेगा ।

सन् १९५८ का ६० की धारा ३२ क में संशोधन ।

८. मूल अधिनियम की धारा ३२ क की,—

(एक) उप-धारा (१) में, " समनुदेशन के रूप में " शब्दों के पश्चात्, निम्न भाग निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" और इस **अनुसूची एक में** उल्लिखित कोई अन्य लिखत भी, संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर शुल्क के साथ प्रभार्य होगी " ;

(दो) उप-धारा (२) के, तृतीय परंतुक में, " दुगना " शब्दों के स्थान में " चौगुना " शब्द रखा जायेगा ;

(तीन) उप-धारा (४) में,—

(क) प्रथम और द्वितीय परंतुक, अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) तृतीय परंतुक में, " दुगना " शब्दों के स्थान में " चौगुना " शब्द रखा जायेगा ।

९. मूल अधिनियम की धारा ३२ख में,— सन् १९५८ का ६० की धारा ३२ख में संशोधन ।

(एक) उप-धारा (१) में, " को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकेगा " शब्दों के पश्चात्, मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों में स्थित संपत्तियाँ, जो लिखत के मामले के अध्यधीन है, के संबंध में और अन्य भागों में स्थित संपत्तियों के संबंध में अपर स्टाम्प नियंत्रक मुंबई को " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (२) में, " के आदेश के विरुद्ध " शब्दों के पश्चात्, " अपर स्टाम्प नियंत्रक, मुंबई या " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३४ के परंतुक में, खण्ड (क) के उप-खण्ड (दो) के परंतुक में, " दुगना " शब्द के स्थान में, " चौगुना " शब्द रखा जायेगा । सन् १९५८ का ६० की धारा ३४ में संशोधन ।

११. मूल अधिनियम की धारा ३८ अपमार्जित की जायेगी । सन् १९५८ का ६० की धारा ३८ का अपमार्जन ।

१२. मूल अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (१) के, उप-खण्ड (ख) के प्रथम परंतुक में, " दुगना " शब्द कें स्थान में, " चौगुना " शब्द रखा जायेगा । सन् १९५८ का ६० की धारा ३९ में संशोधन ।

१३. मूल अधिनियम की धारा ४० में, " इसमें इसके पश्चात् विहित " शब्दों के पश्चात्, " मुंबई शहर तथा मुंबई उपनगर जिला क्षेत्रों के लिए अपर स्टाम्प नियंत्रक, मुंबई शहर और अन्य क्षेत्रों के लिए, रजिस्ट्रीकरण उप महानिरीक्षक और उप स्टाम्प नियंत्रक के पुर्व अनुमोदन से " शब्द जोड़े जायेंगे । सन् १९५८ का ६० की धारा ४० में संशोधन ।

१४. मूल अधिनियम की धारा ४८ की, उप-धारा (१) में, परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६० की धारा ४८में संशोधन ।

" परंतु, **अनुसूची एक** के अनुच्छेद २५ के अधीन, जिस पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया गया है, उस स्थावर संपत्ति का विक्रय करार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रिकृत है और उसके पश्चात्, ऐसा करार विक्रय करार के निष्पादन के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, संपत्ति का कब्जा लेने से पूर्व जो ऐसे करार के मामले का विषय है, चाहे वह किसी भी कारणों के लिये रजिस्ट्रीकृत रद्दकरण विलेख द्वारा रद्द किया गया है, तब, राहत के लिये आवेदन, रद्दकरण विलेख के रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से छह महीनों की अवधि के भीतर किया जा सकेगा। "। सन् १९०८ का १६।

१५. मूल अधिनियम की धारा ५२ क की,— सन् १९५८ का ६० की धारा ५२क में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " एक लाख " शब्दों के स्थान में, " पाँच लाख " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, " दस लाख " शब्दों स्थान में, दोनों स्थानों में, जहाँ वे आए हो, " बीस लाख " शब्द रखे जायेंगे ।

१६. मूल अधिनियम की धारा ६७ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९५८ का ६० की धारा ६७क की निविष्टि।

" **६७क.** (१) राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में जैसे अधिसूचित किये जाये ऐसे कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन कंपनी या निकाय, शुल्क के साथ प्रभार्य लिखत के निर्माण, निष्पादन, रखरखाव, अभिलेख, सत्यापन के लिये जिम्मेवार है तो, इस निमित्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा विशेषतया प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये ऐसे प्ररुप में और समय सीमा के भीतर, जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(२) कोई ऐसे व्यक्ति, संस्था, संगठन, कंपनी या निकाय सूचना देने के लिये उप-धारा (१) के अधीन जिम्मेवार है तो, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, वही देने में असफल होती है तो, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, ऐसे चूककर्ता को शास्ति के रुप में, प्रत्येक असफलता के लिये रुपये पाँच सौ से कम न हो ऐसी रकम, किन्तु जो दस हजार रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है, का भुगतान करने का निदेश देगा ।"।

सन् १९५८ का ६० की धारा ६८ का प्रतिस्थापन ।

१७. मूल अधिनियम की धारा ६८ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

निरीक्षण करने तथा सूचना माँगने की शक्ति।

" **६८.** कलक्टर से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी का विश्वास करने के लिये उचित कारण होता है कि, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, २००० की, धारा २ की, उप-धारा (१) के खण्ड (न) के अधीन, उल्लेखित डिस्केट, मॅग्नेटिक कार्टिज टेप, **सीडी रोम** या किन्हीं अन्य कम्प्यूटर पठनीय माध्यम या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों समेत किसी रजिस्टर, किताबों, अभिलेखों की जाँच करने या माँगने की आवश्यकता है तो, कागजातों, दस्तावेजों, लिखतों या कार्यवाहियाँ, जो किसी कर्तव्य के संबंध में, किसी छल-कपट या अनाचरण की खोज में मार्गदर्शक है तो, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के अधीन नियुक्त **राजपत्रित** जो समूह-ख अधिकारी या उप-रजिस्ट्रार, श्रेणी एक या स्टाम्प निरीक्षक की श्रेणी से कम न हो, जो सभी युक्तियुक्त अवसरों पर, वह या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के ज़रिए किसी परिसर में प्रवेश करेगा और किसी फीस या प्रभार के भुगतान के बिना किसी व्यक्ति, कार्यालय, फर्म या किन्हीं अन्य ईकाई की अभिरक्षा में निरीक्षण करेगा और ऐसी टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निकालेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे और यदि आवश्यक हो तो, धारा ३३ के उपबंधों के अनुसार, केवल प्रभार्य दस्तावेजों को जब्त कर सकेगा । सन् २००० का २१ । सन् १९०८ का १६।

सन् १९५८ का ६० की धारा ६८ क की निविष्टि ।

१८. मूल अधिनियम की धारा ६८ के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

अधिकारी को रोकना या बाधा डालना अपराध होगा ।

" **६८क.** यदि कोई व्यक्ति, धारा ६८ के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी के प्रवेश को रोकता या बाधा डालता है या उसे युक्तियुक्त सहकार्य करने में असफल होता है तो वह, दोषसिद्धि पर, एक महीने से कम न हो किंतु, जो छह महीने तक बढायी जा सके, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से और पाँच हजार रुपयों तक बढाया जा सके ऐसे जुर्माने के साथ दण्डित किया जायेगा ।

सन् १९५८ का ६० की धारा ७२ में संशोधन ।

१९. मूल अधिनियम की धारा ७२ के,—

(एक) खंड (क) में, " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) खंड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (क-क) अपर स्टाम्प नियंत्रक, मुंबई या किसी अन्य अधिकारी को, धारा ९ के खंड (ख) द्वारा उस पर प्रदत्त शक्तियाँ ; और । " ।

सन् १९५८ का ६० की अनुसूची १ में संशोधन ।

२०. मूल अधिनियम की संलग्न **अनुसूची एक** में,—

(१) अनुच्छेद १ के,—

(क) खण्ड (१) के, उप-खण्ड (घ) के, स्तंभ २ में, " अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यधीन एक रुपया " शब्दों के स्थान में, " ऐसे ऋण की रकम या मूल्य पर ०.०१ प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (२) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक एक सौ रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया " शब्द के स्थान में " एक प्रतिशत " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) अनुच्छेद २ के स्थान में, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :–

सन् १८७३ का ५। सन् १९२५ का ३९ ।

" **२.** सरकारी बचत बैंक अधिनियम, १८७३ पाँच सौ रुपये।" ;

या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ की धारा ६ के अधीन दिये गये बंधपत्र समेत, **प्रशासन बंधपत्र ।**

(३) अनुच्छेद ३ के, स्तंभ २ में, " दो सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(४) अनुच्छेद ५ में, —

(क) खण्ड (छ-घ) के,–

(एक) उप-खण्ड (एक) की,–

(क) प्रविष्टि (क) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क अनुच्छेद ६० के अधीन देय है " शब्दों, तथा अंकों के स्थान में, " वही शुल्क अनुच्छेद ३६ (चार) के अधीन देय है " शब्द, तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) प्रविष्टि (ख) के,–

(एक) उप-प्रविष्टि (१) के, स्तंभ २ में " दो सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " दो सौ रुपये या विचाराधीन रकम के ५ प्रतिशत के समान की रकम, जो भी अधिक हो " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (२) के, स्तंभ (२) में, " वही शुल्क अनुच्छेद ६० के अधीन देय है " शब्दों, तथा अंकों के स्थान में, " वही शुल्क अनुच्छेद ३६ (चार) के अधीन देय है " शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खंड (दो) के,—

(एक) प्रविष्टि (क) के स्तंभ २ में, " वही शुल्क अनुच्छेद ६० के अधीन देय है " शब्दों, तथा अंको के स्थान में, " वही शुल्क अनुच्छेद ३६ (चार) के अधीन देय है " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(दो) प्रविष्टि (ख) के,—

(क) उप-प्रविष्टि (१) के, स्तंभ २ में, " एक सौ रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " एक सौ रुपये या विचाराधीन रकम के ५ प्रतिशत के समान की रकम, जो भी अधिक हो " शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(ख) उप-प्रविष्टि (२) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क अनुच्छेद ६० के अधीन देय है " शब्दों तथा अंको के स्थान में, " वही शुल्क अनुच्छेद ३६ (चार) के अधीन देय है " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(तीन) उप-खंड (तीन) की,–

(क) प्रविष्टि (क) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क अनुच्छेद ६० के अधीन देय है," शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " वही शुल्क अनुच्छेद ३६ (चार) के अधीन देय है " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) प्रविष्टि (ख) के,–

(एक) उप-प्रविष्टि (१) के, स्तंभ (२) में, " पचास रुपये " शब्दों के स्थान में, " पचास रुपये या विचाराधीन रकम के ५ प्रतिशत के समान की रकम, जो भी अधिक हो " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (२) के स्तंभ २ में, " वही शुल्क अनुच्छेद ६० के अधीन देय है " शब्दों तथा अंको के स्थान में, वही शुल्क अनुच्छेद ३६ (चार) के अधीन देय है " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (ज) की, उप-खंड (क) की,

(एक) प्रविष्टि (एक) के,

(एक) उप-प्रविष्टि (क) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये और **पचास पैसे** " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, "०.२५ प्रतिशत" अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए पाँच रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) प्रविष्टि (दो) के,—

(एक) उप-प्रविष्टि (क) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये और **पचास पैसे** " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.२५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए पाँच रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में " ०.५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) प्रविष्टि (तीन) के,—

(एक) उप-प्रविष्टि (क) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये और **पचास पैसे** " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.२५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए पाँच रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में " ०.५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(चार) प्रविष्टि (चार) के,—

(एक) उप-प्रविष्टि (क) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया " शब्दों तथा अंकों के स्थान में " ०.१ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में " ०.२ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(पाँच) प्रविष्टि (पाँच) के,—

(एक) उप-प्रविष्टि (क) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये और **पचास पैसे** " शब्दों तथा अंकों अक्षरों के स्थान में, " ०.२५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिये पाँच रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(छह) प्रविष्टि (छह) के,—

(एक) उप-प्रविष्टि (क) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिये एक रुपया " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.१ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.२ प्रतिशत " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(५) अनुच्छेद ६ के,–

(क) खंड (१) के,–

(एक) उप-खंड (क) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया " शब्दों के स्थान में, " ०.१ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खंड (ख) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.२ प्रतिशत " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे ;

(ख) खंड (२) के,–

(एक) उप-खंड (क) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया " शब्दों के स्थान में, " ०.१ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-खंड (ख) के स्तंभ (२) में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.२ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) स्पष्टीकरण एक के पश्चात्, निम्न स्पष्टीकरण, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण दो** .– इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई नवीन लिखत अतिरिक्त कर्ज या पूर्ववर्ती कर्ज के विस्तार के लिए निष्पादित की गई है तो, वह नवीन लिखत के रुप में मानी जायेगी और सुरक्षित या संवितरित या मंजूर की जानेवाली अतिरिक्त रकम के विस्तार के शुल्क के साथ प्रभार्य होगी । " ;

(६) अनुच्छेद ७ में,—

(एक) खंड (क) के, स्तंभ (२) में, " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) के, स्तंभ (२) में, " दो सौ और पचास रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(७) अनुच्छेद ८ के, स्तंभ (२) में " अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यधीन बंधपत्र (अनुच्छेद १३) के अनुसार वही शुल्क " शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान में, " एक सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(८) अनुच्छेद १० के, स्तंभ (२) में " प्रत्येक ५,००,००० रुपये या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये " शब्दों तथा अंको के स्थान में ; " शेअर पूँजी या, यथास्थिति, वृद्धि की गई शेअर पूँजी पर ०.२ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(९) अनुच्छेद १२ के स्थान में, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **१२. अधिनिर्णय,** इसका तात्पर्य, किसी मामले के प्रक्रम में न्यायालय के आदेश द्वारा से अन्यथा मध्यस्थ या अधिनिर्णायक द्वारा, निर्दिष्ट किये जाने पर, लिखित करार के परिणाम स्वरुप मध्यस्थ को प्रस्तुत अधिनिर्णित किये जानेवाले विद्यमान या भविष्य में के विवाद होंगे किन्तु, विभाजन के निर्देश का अधिनिर्णय नहीं होंगा ।	पाँच सौ रुपये : ";

(१०) अनुच्छेद १३ के,

(क) स्तंभ (१) में, " प्रत्येक पाँच सौ रुपये या उसके भाग के लिये " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) स्तंभ (२) में " न्यूनतम एक सौ रुपये के अध्यधीन, पाँच रुपये " शब्दों के स्थान में, " न्यूनतम पाँच सौ रुपये के अध्यधीन बंधपत्र की रकम १ प्रतिशत," शब्द रखे जायेंगे ;

(११) अनुच्छेद १४ के, स्तंभ (२) में, " उसी रकम के लिए बंधपत्र (अनुच्छेद १३) के रूप में वही शुल्क " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " न्यूनतम पाँच सौ रुपये बंधपत्र की रकम के अध्यधीन, उसी रकम के लिये १ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(१२) अनुच्छेद १५ के, स्तंभ (२) में, " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(१३) अनुच्छेद १७ के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक एक हजार रुपये या उसके भाग के लिए एक रुपया " शब्दों के स्थान में, " ०.१ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(१४) अनुच्छेद १८ के, स्तंभ (२) में, " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(१५) अनुच्छेद २४ के, स्तंभ (२) में, " दो सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(१६) अनुच्छेद २५ के, खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (क) यदि स्थावर संपत्ति से संबंधित है	संपत्ति के बाजार मूल्य का ३ प्रतिशत। " ;

(१७) अनुच्छेद २८ के स्थान में, निम्न अनुच्छेद, रखा जायेगा, अर्थात् :—-

"**२८. सीमा-शुल्क बंधपत्र या उत्पाद शुल्क बंधपत्र** इसका तात्पर्य यह है कि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में या सीमा-शुल्क या उत्पादन शुल्क के किन्हीं कर्तव्यों के लिए या के संबंध में या धोखाधड़ी या कपट की रोकथाम या उसके अपवंचन के लिए या किसी अन्य मामलें या उससे संबंधित बात के लिए सीमा-शुल्क या उत्पादन-शुल्क के किसी अधिकारी के निर्देशों के अनुसरण में दिये गये कोई बंधपत्र से है ।	पाँच सौ रुपये ; " ;

(१८) अनुच्छेद ३४ के, स्तंभ (२) के, विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

" परन्तु आगे यह कि, यदि निवासीय और कृषि सम्पति यह पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पोता, मृत पुत्र की पत्नी, पोती को दान दी गई है तो, प्रभार्य शुल्क की रकम दो सौ रुपये होगी । " ;

(१९) अनुच्छेद ३५ के, स्तंभ २ में, " दो सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(२०) अनुच्छेद ३९ के,—

(एक) खंड (क) के, स्तंभ (२) में, " दो सौ रुपये " शब्दों के स्थान में, " एक हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) के, स्तंभ (२) में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " कंपनी की शेअर पूँजी " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " न्यूनतम एक हजार रुपये के और अधिकतम ५०,००,००० रुपये के अध्यधीन कंपनी की शेअर पूँजी के अनुसार ०.२ प्रतिशत " अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(२१) अनुच्छेद ४० के,—

(एक) खंड (ख) के, स्तंभ (२) में, " प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए पाँच रुपये " शब्दों के स्थान में, " का ०.५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ग) के, स्तंभ (२) में, " अधिकतम दो सौ रुपयों के अध्यधीन प्रतिभूत रकम के लिए बंधपत्र (अनुच्छेद १३) के रूप में वही शुल्क " शब्दों तथा अंकों के स्थांन में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(२२) अनुच्छेद ४५ के,—

(एक) खंड (क) के,—

(क) स्तंभ १ में, " प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए " शब्द, अक्षर तथा अंक अपमार्जित किये जायेंगे ;

(ख) स्तंभ २ में, " दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " आदेश के अधीन अदायगी की रकम का एक प्रतिशत " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) के स्थान में, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

(ख) जहाँ दिनांक या स्थल के पश्चात् एक वर्ष से अधिक में देय ।	आदेश के अधीन देय रकम का दो प्रतिशत। " ;

(२३) अनुच्छेद ४६ के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक पाँच सौ रुपये या उसके भाग के लिए दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " दो प्रतिशत " शब्द रखे जायेंगे ;

(२४) अनुच्छेद ४७ के लिए, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **४७. भागीदारी.—**

(१) लाभ प्राप्त करने और शेअर लाभ चाहे वह नगद में या प्रकार में हो, कारोबार चलानेवाली सीमित दायित्ववाली भागीदारी और संयुक्त उद्यम समेत किसी भागीदारी की लिखत—

(क) जहाँ भागीदारी में अंशदान का कोई शेअर नहीं है या जहाँ ऐसा शेअर नगद रुप में लाये गये अंशदान के ५०,००० रुपयों से अनधिक हो, के बारे में।	पाँच सौ रुपये ।

(ख) जहाँ ऐसा शेअर नगद रुप में लाये गये अंशदान का ५०,००० रुपये से अधिक हो, के बारे में।	अधिकतम पंद्रह हजार रुपये के अध्यधीन शेअर अंशदान के रकम के एक प्रतिशत ।
(ग) जहाँ ऐसा शेअर अंशदान नगद को छोड़कर संपत्ति के रुप में लाया गया हो, के बारे में।	ऐसे संपत्ति के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद २५ के खंड (क), (ख), या, यथास्थिति, (ग) के अनुच्छेद २५ के अधीन अभिहस्तांतरण पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समान शुल्क ।

(२) लाभ प्राप्त करने और शेअर लाभ चाहे वह नगद या उस प्रकार में हो कारोबार चलानेवाली परिसीमित दायित्ववाली भागीदारी और संयुक्त उद्यम समेत किसी भागीदारी का विघटन—

(क) जहाँ कोई भी संपत्ति जिस भागीदार ने अपने शेअर अंशदान के रुप में लाया गया है उससे अन्य भागीदार ने भागीदारी का विघटन या भागीदार के सेवा निवृत्ति पर उसके शेअर के रुप में कब्जे में लिया हो, के बारे में,	अधिकतम एक सौ रुपये के अध्यधीन ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य पर, अनुच्छेद २५ के खण्ड (क), (ख), या, यथास्थिति, (ग) के अधीन अभिहस्तांतरण पर उद्ग्रहणीय शुल्क के समान शुल्क ।
(ख) किसी अन्य मामले में,	पाँच सौ रुपये। ”;

(२५) **अनुच्छेद ४८ में,—**

(एक) खण्ड (क) के, स्तंभ २ में, “ एक सौ रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच सौ रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के, स्तंभ २ में, “ एक सौ रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच सौ रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (ग) के, स्तंभ (२) में, “ एक सौ रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच सौ रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(चार) खण्ड (घ) के, स्तंभ २ में, “ एक सौ रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच सौ रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(पाँच) खण्ड (ङ) के, स्तंभ २ में, “ एक सौ रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच सौ रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(छह) खण्ड (च) के, उप-खंड (दो) के परिच्छेद (क) में, “ पोता, पोती या ऐसे अन्य निकट संबंधी ” शब्दों के स्थान में, “ पुत्र, पोता, पोती या पिता, माता, विवाहिता के भाई या बहन ” शब्द रखे जायेंगे ” ;

(सात) खण्ड (छ) के, स्तंभ २ में, “ एक सौ रुपये ” शब्दों के स्थान में, “ पाँच सौ रुपये ” शब्द रखे जायेंगे ;

(२६) अनुच्छेद ५१ के स्थान में, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :—

" **५१. बंधक संपत्ति का प्रतिहस्तांतरण** पाँच सौ रुपये । " ;

(२७) अनुच्छेद ५२ के, स्तंभ १ के, खंड (क) में, " उपर्युक्त रिश्तें " शब्दों के स्थान में, " किसी प्ररूप में विचार किये बिना " शब्द जोड़े जायेंगे ;

(२८) अनुच्छेद ५३ के, स्तंभ २ में, " प्रतिभूत कर्ज की रकम के लिए बंधपत्र (अनुच्छेद १३) के रूप में वही शुल्क " शब्द, कोष्टक तथा अंक के स्थान में, " न्यूनतम पाँच सौ रुपयों के अध्यधीन, प्रतिभूत कर्ज की रकम के १ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(२९) अनुच्छेद ५४ के, स्थान में, निम्न अनुच्छेद रखा जायेगा, अर्थात् :—

"५४. सुरक्षा बंधपत्र या बंधक विलेख,—

जहाँ ऐसे प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक किसी पद के उचित निष्पादन या उसके पद द्वारा प्राप्त रकम या अन्य संपत्ति के लिये लेखा-जोखा देने के लिये निष्पादित किये गये सुरक्षा के रूप में या संविदा के सम्यक् अनुपालन के की प्रतिभूति की सुनिश्चिति या न्यायालय या सार्वजनिक अधिकारी के आदेश के अनुसरण में, महाराष्ट्र न्यायालय फीस अधिनियम द्वारा उपबंधित से अन्यथा नहीं हैं ।	अधिकतम दस लाख रुपये के अधीन ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूत रकम के लिय ०.५ प्रतिशत : परंतु, किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई किसी लिखतों पर, जिसके लिये किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति बंधपत्र या बंधक विलेख प्रतिभूति और निष्पादित किया जाता है तो अनुच्छेद ४० के अधीन शुल्क अदा किया गया है, तब देय शुल्क एक सौ रुपये होगा।";

सन् १९५९ का ६०।

छूट

बंधपत्र या अन्य लिखतों,—

(क) गारंटी के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्त, औषधालय या चिकित्सालय या सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के लिये निजी अंशदान से प्राप्त स्थानीय आय विनिर्दिष्ट रकम से कम नहीं होगी ;

सन् १९७६ का महा. ३८ ।

(ख) महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम, १९७६ की धारा ११४ के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन ;

सन् १८८३ का १९ । सन् १८८४ का १२ ।

(ग) भूमि सुधार ऋण अधिनियम, १८८३ या कृषिक ऋण अधिनियम, १८८४ के अधीन अग्रिम लेनेवाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे अग्रिम के प्रतिसंदाय के लिये प्रतिभूति के रूप में उनकी प्रतिभूतियों द्वारा ;

(घ) किसी पद के उचित निष्पादन सुनिश्चित करने या उसके पद द्वारा प्राप्त राशि या अन्य संपत्ति के उचित लेखा की सुनिश्चिति के लिये सरकार के अधिकारियों या उनके प्रतिभूतियों द्वारा जब निष्पादित किया जाता है तब,

(३०) अनुच्छेद ५५ के,—

(एक) खण्ड (क) के, उप-खण्ड (एक) के स्तंभ २ में, " प्रत्येक पाँच सौ रुपये या उसके भाग के लिये दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " का २ प्रतिशत " अंक और शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) के,—

(क) उप-खण्ड (दो) के, स्तंभ २ में " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " किन्तु दो सौ रुपये से अनाधिक " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-खण्ड (दो) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " किंतु दो सौ रुपये से अनधिक " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ।

(३१) अनुच्छेद ५९ के,—

(एक) खण्ड (क) के, स्तंभ २ में, " प्रत्येक १०० रुपये या उसके भाग के लिए **पचास पैसे** " शब्दों तथा अंकों के स्थान में, " ०.५ प्रतिशत " अंक तथा शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख), (ग) और (घ) के स्तंभ २ में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " अधिकतम दो सौ रुपये के अध्यधीन " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ।

(३२) अनुच्छेद ६० के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " जो अंतरण के विषय के अध्यधीन है " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न प्रभाग रखा जायेगा, अर्थात् :—

" पट्टे की शेष अवधि के लिए, अनुच्छेद ३६ के, खंड (एक), (दो), (तीन) या, यथास्थिति, (चार) के अधीन वही शुल्क पट्टे पर उद्ग्रहणीय है " ;

(३३) अनुच्छेद ६१ की,—

(*एक*) प्रविष्टि (क) की,—

(एक**)** उप-प्रविष्टि (क) के, उप-खंड (एक) के स्तंभ २ में, " प्रत्येक पाँच सौ रुपयों या उसके भाग के लिए दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " दो प्रतिशत " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) उप-प्रविष्टि (ख) के,—

(क) उप-खंड (एक) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और" दो सौ रुपये " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-खंड (दो) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और" दो सौ रुपये " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) प्रविष्टि (ख) के, स्तंभ २ में, " वही शुल्क " शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " दो सौ रुपये " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(३४) अनुच्छेद ६३ के,—

(एक) खंड (क) के, स्तंभ २ में, " एक सौ रुपये " शब्दों के स्थान में " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) के, स्तंभ २ में, " एक सौ रुपये " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " अधिकतम पाँच लाख रुपये " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " अधिकतम पच्चीस लाख रुपयों के अध्यधीन दस लाख रुपयों के उपर की रकम के पाँच सौ रुपये और ०.१ प्रतिशत " शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2015.

THE INDIAN FOREST (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक १४ मई, २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

एम. ए. सईद,
प्रधान सचिव और विधि परामर्शी,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2015.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE INDIAN FOREST ACT, 1927 IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ सन् २०१५।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २ जून २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में, यथा प्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, १९२७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, सन् १९२७ १९२७ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के चौसष्ठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, का १६ । निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम भारतीय वन (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में, अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा २६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में यथा प्रयुक्त भारतीय वन अधिनियम, १९२७ की धारा २६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की,—

(क) उप-धारा (१) में,—

(एक) " दो हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(दो) निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, जहाँ वन-अपराध सूर्योदय के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किया गया है या विधि पूर्ण प्राधिकरण को विरोध करने के लिए तैयारी के पश्चात् या जहाँ अपराधी किसी वन अपराध के लिए पहले से ही दोषसिद्ध है तो इस मामलों की शास्तियों में उप-धारा में उल्लिखित राशि दुगनी की जायेगी। ";

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात :—

" (१-क) (क) वन अधिकारी, आरक्षित वन से या किसी व्यक्ति आरक्षित वन में किसी भूमि से बेदखल हो सकेगा जो ऐसे वन में, अतिक्रमण करेगा या मवेशीयों को चरायेगा या मवेशीयों को अतिक्रमण करने देगा या फसल उगाने के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को जोतेगा या जंगल तोड़ करेगा और ऐसी भूमि पर ऐसे व्यक्ति द्वारा खड़े किये गये किसी भवन या किये गये संनिर्माण को गिरा सकेगा।

(ख) किसी आरक्षित वन में किसी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई कृषिक या अन्य फसल उगाना, या खड़े किये गये किसी भवन या किये गये किसी संनिर्माण को प्रभागीय वन अधिकारी के किसी आदेश द्वारा जब्त करने के लिए दायी किया जायेगा।

(ग) इस उप-धारा के उपबंध, उप-धारा (१) के अधीन प्रदान किसी शास्ति के होते हुए भी प्रभावी होंगे :

सन् २००७ का २ ।

परन्तु, उपर्युक्त उप-धारा की कोई बात अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपारिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ के अधीन वन निवासी अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपारिक वन निवासियों पर प्रदत्त वन अधिकारों और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, १९९६ के उपबंधों के अधीन लघु वन उपज की **ग्राम सभा** के अधिकारों के स्वामित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। ";

सन् १९९६ का ४० ।

(ग) उप-धारा (४) के स्थान में, निम्न उप-धारायें, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (४) उप-धारा (१-क) के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, कोई व्यक्ति जो विरोध करता है या चोंट पहुँचाता है, उनकी और से जुड़े लोक सेवकों या कर्मचारियों को रोकता है तो दोषसिद्धि पर, ऐसे अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो, एक वर्ष से कम नहीं होगी परन्तु, छह वर्षों तक बढ़ायी जा सकेगी और ऐसे जुर्माने से भी दण्डित करेगा जो एक हजार रुपयों से कम नहीं होगा।

(५) उप-धारा (१-क) द्वारा उपबंधित किन्ही मामले में सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी।"।

३. मूल अधिनियम की धारा ३३ की, उप-धारा (१) में, " दो हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ३३ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ४२ की, उप-धारा (१) में, " दो हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ४२ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ५२ की,— सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ५२ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१क), अपमार्जित की जायेगी ;

(ख) पार्श्व टिप्पणी में, " और समपहरण " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

६. मूल अधिनियम की धारा ५५ में,— सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ५५ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " समपहरण हेतु सिद्धदोष ठहरानेवाले न्यायालय के आदेश द्वारा उत्तरदायी होगा " शब्दों के स्थान में, " अधिहरण का उत्तरदायी होगा " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (२) में, " समपहृत " शब्द के स्थान मे, " अधिहरण " शब्द रखा जायेगा ;

(ग) पार्श्वटिप्पणी में, " समपहृत " शब्द के स्थान मे, " अधिहरण " शब्द रखा जायेगा।

७. मूल अधिनियम की धारा ५६ में, " समपहृत " शब्द के स्थान मे, " अधिहरण " शब्द रखा जायेगा। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ५६ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ५७ में, " समपहृत " शब्द के स्थान मे, " अधिहरण " शब्द रखा जायेगा। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ५७ में संशोधन।

सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६० में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ६० में, " समपहृत " शब्द के स्थान मे, " अधिहरण " शब्द रखा जायेगा।

सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६१ क में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ६१ क में,—

(क) उप-धारा (३) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (३) जहाँ कोई ईमारती लकड़ी, चंदन लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, काष्ठ कोयला या कोई अन्य अधिसूचित वन-उपज, जो राज्य सरकार की संपत्ति है वह धारा ५२ की उप-धारा (१) के अधीन अधिग्रहित की गई है या कोई ऐसी वन उपज उप-धारा (१) के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी के सामने प्रस्तुत की गई है और उसका समाधान हो जाता है कि ऐसे वन उपज के संबंध में वन अपराध घटित हुआ है, तो ऐसे अपराध के लिए चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के या किये न गये होते हुए भी, ऐसा प्राधिकृत अधिकारी, इस प्रकार अधिगृहित की गई वन-उपज को वन-अधिकारी द्वारा निगरानी में लेने का आदेश देगा और ऐसे घटित अपराध में उपयोग में लाये गये सभी औजार, बोट, वाहन और मवेशी का अधिहरण करने का आदेश देगा। ";

(ख) उप-धारा (४) में,—

(एक) खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात्—

" (क) जहाँ प्राधिकृत अधिकारी, उप-धारा (३) के अधीन अधिहरण का कोई आदेश पारित करने के बाद, उसकी यह राय होती है कि ऐसा करना लोकहित में इष्टकर था तो वह सभी अधिहरण किये गये औजार, बोट, वाहन और मवेशीयों की बिक्री करने के आदेश देगा।";

(दो) खंड (ख) में.—

(१) " संपत्ति या " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(२) " नीलामी " शब्द के स्थान में " बिक्री " शब्द रखा जायेगा।

सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६१ ख में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा ६१ ख में,—

(क) उप-धारा (१) में, " कोई ईमारती लकड़ी, चंदन लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, काष्ठ कोयला या कोई अन्य अधिसूचित वन-उपज " शब्दों को अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) उप-धारा (२) के बाद, निम्न उप-धारा जोड़ी जागेगी, अर्थात् :—

" (३) जब अपराधी या धारा ५२ की उप-धारा १ के अधीन अधिग्रहित किये गये किसी औजार, बोट, वाहन या मवेशीयों का स्वामी ज्ञात नहीं है या पाया नहीं जाता है और प्राधिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि ईमारती लकड़ी, चंदन लकड़ी, जलाऊ लकड़ी काष्ठ कोयला या कोई अन्य अधिसूचित वन उपज जो राज्य सरकार कि संपत्ति है उसके संबंध मे घटित वन-अपराध में उपयोग में लाया गया है, तो, पूर्वगामी उपबंधो में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी धारा ६१ क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आदेश पारित करेगा :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, जबतक ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् या उसमें किसी अधिकार का दावा करनेवाले व्यक्ति की सुनवाई किये बिना तबतक नहीं बनाया जायेगा। ";

१२. मूल अधिनियम की धारा ६१ च के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६१ च की प्रतिस्थापना।

" **६१च.** जब धारा ६१ क या धारा ६१ ग के अधीन किसी संपत्ति के अधिहरण के लिए कोई आदेश पारित किया जाता है और धारा ६१ घ उपबंधित ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने की समयावधि समाप्त हो जाती है और ऐसा अपील निर्दिष्ट नहीं किया जाता है या जब ऐसा अपील निर्दिष्ट किया जा रहा है तो अपील न्यायालय, ऐसे संपत्ति के संपूर्ण या भागतः ऐसी संपत्ति या उसके ऐसे भाग या यदि वह धारा ५८ के अधीन धारा ६१ क की उप-धारा (४) के खण्ड (क) के अधीन बेचा जाता है या, यथास्थिति, उसकी बिक्री प्रक्रिया के संबंध में ऐसी आदेश की पष्टि करना जो राज्य सरकार में निहित होकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी। "; संपत्ति आदि जब सरकार में निहित होती है तब अधिहरण होगा।

१३. मूल अधिनियम की धारा ६१ छ में, " अपराध " शब्द के स्थान में " ऐसी संपत्ति के संबंध में वन अपराध " शब्दों को रखा जायेगा। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६१ छ में संशोधन।

१४. मूल अधिनियम की धारा ६२ की, उप-धारा (१) में, " या समपहृत " शब्द अपमार्जित किया जायेगा। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६२ में संशोधन।

१५. मूल अधिनियम की धारा ६५ क के, खंड (ख) में, " उप-धारा (१) के खंड (क), (ख), (च), (छ), (ज) और (झ) " शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षरों के स्थान में, " धारा २६ की उप-धारा (१) के और उप-धारा ४ में खंड (क), (ख), (घ), (च), (छ), (ज), (झ) " शब्द अंक कोष्ठक और अक्षर रखे जायेंगे। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६५ क में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा ६६ के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :- सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की नवीन धारा ६६ क की निविष्टि।

" **६६क.** जो भी कोई किसी वन-अपराध को दुष्प्रेरित करता है, यदि अपराध दुरुत्साहन के लिए दंड के परिणाम स्वरुप घटित दुष्प्रेरित होता है तो, वह ऐसे अपराध के लिए उपबंधित वही दंड से दंडित किया जायेगा। ";

१७. मूल अधिनियम की धारा ६७ में, " दो हजार रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६७ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा ६८ में,— सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ६८ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में

(१) खंड (क) में,—

(एक) " विनिर्दिष्ट किसी अपराध से अन्य " शब्दों, के पश्चात्, " धारा २६ की उप-धारा (४) या " शब्द कोष्ठक और अंक निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) " उसके स्व-विवेकानुसार धनराशि की अदायगी या धनराशि अदा करने का लिखित वचनबंध " शब्दों के स्थान में, " ऐसी धनराशि की अदायगी " शब्द रखे जायेंगे।

(२) खंड (ख) में, " उसके स्व-विवेकानुसार, की अदायगी या अदायगी का लिखित वचनबंध स्वीकृत करने पर " शब्दों के स्थान में, " की अदायगी पर " शब्द रखे जायेंगे।

(ख) उप-धारा (२) में, " की अदायगी या अदायगी का लिखित वचनबंध स्वीकृत करने पर " शब्दों के स्थान में, " की अदायगी " शब्द रखे जायेंगे।

(ग) उप-धारा (३) में, " पाँच सो रुपये " शब्दों के स्थान में, " पाँच हजार रुपये " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९२७ का अधि. क्र. १६ की धारा ७१ में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम, की धारा ७१ में,—

(क) " दस रुपये " शब्दों के स्थान में, " दो सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " दो रुपये " शब्दों के स्थान में, " दो सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(ग) " एक रुपया " शब्दों के स्थान में, " दो सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) " पचास नया पैसा " शब्दों के स्थान में, " एक सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९२७ का महा. अधि. क्र. १६ की धारा ८२ में संशोधन।

२०. मूल अधिनियम की धारा ८२ में, " या धारा ६८ के अधीन अदा की जानेवाली सहमत संपत्ति की प्रतिभूति या मूल्य के विषय में " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.